न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 14/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/19

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना–कुचमान।		श्री अशोक शर्मा पुत्र श्री जानकीलाल निवासी मौलासर मैसर्स होटल सुख सागर टोल प्लाजा बडी छापरी मौलासर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपरिथतः–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री शिवराम

–:आदेश:– दिनांक : 17.02.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार है:–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 13.01.2025 को श्री उपेन्द्र ढाका जिला रसद अधिकारी डीडवाना–कुचामन एवं प्रवर्तन निरीक्षक श्री शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह जाखड़ द्वारा मैसर्स होटल सुखसागर मौलासर पर आकस्मिक जाँच की कार्यवाही की। मौके पर श्री अशोक शर्मा पुत्र श्री जानकीलाल निवासी मौलासर उपस्थित मिले, जिन्होने दुकान का निरीक्षण करवाया एवं बताया कि यह होटल श्री अशोक शर्मा पुत्र श्री जानकीलाल संचालित करते है। मौके पर दुकान मे 03 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व्यवसायिक दुरूपयोग/भण्डारण किये हुए पाये गये। श्री अशोक शर्मा से घरेलू गैस के भण्डारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना अपने बयानों में स्वीकार किया। श्री अशोक शर्मा द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरूपयोग किये गये 03 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों को जब्त करते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.03 10:29:40 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1.	इण्डेन	97665–S	0 किग्रा
2.	इण्डेन	029933–P	0 किग्रा
3.	इण्डेन	834902–T	1 किग्रा

उपरोक्त 03 घरेलू रसोई गैस को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स मौलासर इण्डेन ग्रामीण वितरक मौलासर के प्रतिनिधि श्री लखन प्रजापत की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री अशोक कुमार का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 03 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजुद सूचना के अप्रार्थी अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस एक पक्षीय सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री अशोक कुमार द्वारा घरेलु गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इनके पास घरेलु गैस के भण्डारण व व्यापारिक उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये गये। इस पर मौके पर पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर कुल 03 को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया जाकर कब्जे में लिये गये। जब्त सुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को मैसर्स मौलासर इण्डेन ग्रामीण वितरक मौलासर के प्रतिनिधि श्री लखन प्रजापत को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय श्री अशोक कुमार के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में [illegible] प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवा[illegible] होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.03 10:29:40 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर [illegible] द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम [illegible] स्वीकार की जाती है। प्रकरण में

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.03 10:29:40 IST
Reason: SelfAttested